

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०..... 683/2023

सरकार

बनाम मोनूपाल व अन्य

अंतर्गत धारा-302/34 भा०द०सं०

थाना-मुरादनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-620/2022

आरोप

मैं, अनिल कुमार-X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण मोनूपाल एवं सोनूपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

यह कि दि० 19-09-2022 को समय 8.00 पी०एम० रात्रि स्थान ग्राम बन्दीपुर गेट से कुछ दूरी पर गाँव की तरफ अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा साशय अपने पिता सतेन्द्रपाल की गोली मारकर हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा 302 सपठित धारा 34 भा० द० सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक:23.02.2024

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक:23.02.2024